न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 587/2026.

(चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025)

इन्दल सिंह – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

02.07.2026 **आदेश**

1. आवेदक/अभियुक्त **इन्दल सिंह** की ओर से चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025, धारा 191(2),191(3),190,126(2), 115(2),117(2),109,303(2),352,351(2),351(3)बी0एन0एस0 एवं 27 श0अ0 के अंतर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उसके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमकिशोर सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश दास को सुना गया है। आवेदक की ओर से पूरक जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। काण्ड दैनिकी की सत्यापित प्रति प्राप्त है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही लम्बित है। सुनवाई के क्रम में पूरक जमानत आवेदन दाखिल कर कथन किया गया है कि काण्ड दैनिकी के कंडिका 24 में आवेदक का एक अन्य केस चौथम थाना काण्ड संख्या 18/2017 होना आया है। आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है एवं पूर्व दुश्मनी के कारण गलत रूप से इस वाद में संलिप्त किया गया है। आवेदक पक्ष की ओर से चौथम थाना काण्ड संख्या 181/2025 दर्ज कराया गया है तथा उसी से बचने के लिये सूचक द्वारा यह झूठा वाद दर्ज लाया है। उभय पक्षों के बीच लम्बे समय से जमीन का विवाद है। धारा 109,303(2) बी0एन0एस0 एवं 27 श0अ0 का केस नहीं बनता है तथा अन्य आरोपित धारायें जमानतीय है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने की सम्भावना है। सह–अभियुक्तगण का ए0 बी0 ए0 नम्बर 1171/25, 892/25, 1277/25 एवं 1428/26 विद्वान न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक की अग्रिम जमानत स्वीकृत करने की प्रार्थना किया गया है।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया करते हुये कथन किया गया है कि सूचक को जान मारने के नियत से उसके सर पर प्रहार कर जख्मी किया गया तथा उसके जख्म को गम्भीर प्रकृति का पाया गया है।

4. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से यह है कि दिनांक 07.07.2025

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 587/2026.

(चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025)

इन्दल सिंह - बनाम- बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार.पेज-2.

02.07.2026

को समय करीब सात बजे सुबह में 1.बिगुल सिंह उर्फ रंजय, 2.रंजीत सिंह, 3.पिंकू सिंह, 4.इन्दल सिंह, 5.संजय सिंह उर्फ बादल सिंह सभी पे0 स्व0 वासुदेव सिंह, 6.राजा कुमार, 7.घनश्याम सिंह, 8.बलराम सिंह, 9.शिवशंकर सिंह तीनों पे0 जगदीश सिंह, 10.वरूण सिंह, 11.अमन कुमार दोनों पे0 घनश्याम सिंह, 12.गोलू कुमार, 13.विकाश कुमार दोनों पे0 बिगुल सिंह, 14.हितेश सिंह पे0 स्व0 सदानंद सिंह, सभी साकिन मोहनपुर वार्ड नम्बर 10, थाना चौथम, जिला खगड़िया हरवे-हथियार से लैश होकर आये और हमारे बासडीह जमीन पर जबर्दस्ती मकान बनाना शुरू कर दिये। जब वह मकान बनाने से रोका तो सभी व्यक्तियों ने गाली-गलोज करते हुये मारपीट करना शुरू कर दिया तथा सभी व्यक्तियों ने कहा कि चलो ठाकुरवाड़ी के पास इसका सभी मकई लूटपाट कर लेंगे और उसी से मुकदमा लड़ लेंगे। उपरोक्त व्यक्तियों ने थ्रीनट, लाठी एवं लोहे का पाईप लेकर ठाकुरबाड़ी के पास पहुँच गया और ठाकुरबाड़ी के पास रखा उसका 500 बोरा एवं बगल में रखा 400 बोरा मकई लूटपाट कर ले गया तथा बिगुल सिंह उर्फ रंजय ने जान मारने के नियत उसके उपर गोली चला दिया। लेकिन वह बाल-बाल बच गया तथा उपरोक्त व्यक्तियों ने रड एवं खंती से मेरा सिर को बूरी तरह जख्मी कर दिया। जब भाई दिनेश सिंह एवं रमेश सिंह बचाने आया तो उसे भी जान मारने के नियत से रड, खंती से मारकर जख्मी कर दिया तथा 15. ममता देवी पति बिगुल सिंह उर्फ रंजय सिंह ने धमकी देते हुये बोली की अधमरू मत छोड़ो सभी को जान से मार दो।

02-7-26

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर एवं हरवे-हथियार से लैस होकर सूचक के जमीन पर जबर्दस्ती मकान बनाने, जिसका विरोध करने पर सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों को मारपीट कर जख्मी करने तथा मंदिर के बगल में रखे उसका कुल 900 बोरा मकई को लूट कर ले जाने तथा जान मारने के नियत से सह-अभियुक्त बिगुल सिंह द्वारा गोली चलाने जो संयोगवश नहीं लगने का आरोप है। प्राप्त काण्ड दैनिकी के कंडिका 2, 7 एवं 8 में गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 28 में जख्मी नरेश सिंह एवं रमेश सिंह का जख्म प्रतिवेदन

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 587/2026.

(चौथम थाना काण्ड संख्या 180/2025)

इन्दल सिंह – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार, पेज–3.

02.07.2026

तथा कंडिका 37 में जख्मी सोनी देवी, चाँदनी देवी, पुतुल देवी, दिनेश सिंह का जख्म प्रतिवेदन अंकित है तथा सभी के जख्म को कड़े एवं भोथरे पदार्थ से कारित होना बताया गया है, लेकिन जख्मी नरेश सिंह के पूरक जख्म प्रतिवेदन में उसके जख्म को Fractures found in temporoparietal skull एवं **गम्भीर प्रकृति** का होना पाया गया है जो जीवन के लिये खतरनाक भी हो सकता था। कंडिका 24 में अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास अंकित है जिसमें आवेदक के विरूद्ध एक अन्य केस चौथम थाना काण्ड संख्या 18/2017 का अपराधिक इतिहास होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कुल छः व्यक्तियों को मारपीट कर जख्मी किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध काण्ड अभी अनुसंधान के कम में है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों में पूर्व के पदाधिकारी के आदेश से ससम्मान असहमत होते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक इन्दल सिंह के इस अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो नियमित जमानत आवेदन दाखिल कर प्रचालित कर सकता है।

(लेखापित एवं शुद्धित)
02-7-26
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

Date of Judgment/Order	02-07-2026
Date of Reserving judgment/Order	—
Uploading Date	09.07.26
Uploaded by	Nitesh Kumar (D60)